राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं. 1(4) कार्मिक/क-2/2017 जयपुर, दिनांक : 02-05-2017

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1980 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.– राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1980, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 में विद्यमान खण्ड (ङ) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (च) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड (ङङ) अतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(ङङ) "सीधी भर्ती" से इन नियमों के भाग 3क में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी भर्ती अभिप्रेत है ;"

3. नियम 5 का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"5. सेवा का गठन.– सेवा निम्नलिखित से गठित होगी –

(क) राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2017 के प्रारंभ की तारीख को स्नातकोत्तर

महाविद्यालय शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक या स्नातकोत्तर महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के पद को अधिष्ठायी रूप से धारण करने वाले समस्त व्यक्ति ;

(ख) सेवा में सम्मिलित पद पर भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति ; और

(ग) अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति पर भर्ती किये गये व्यक्तियों को छोड़कर सेवा में भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति।"

4. **नियम 6 का प्रतिस्थापन.**– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"6. **भर्ती की रीतियां.**– (1) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् सेवा में सम्मिलित पद (पदों) पर भर्ती निम्नलिखित रीतियों से की जायेगी, अर्थात् :–

(क) इन नियमों के भाग 3क के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा ; और

(ख) इन नियमों के भाग 4 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति द्वारा।

(2) उपर्युक्त रीतियों द्वारा सेवा में भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक रीति से सेवा में नियुक्त व्यक्ति किसी भी समय नियमों/अनुसूची में अधिकथित प्रत्येक प्रवर्ग के लिए समय–समय पर स्वीकृत कुल संवर्ग संख्या के प्रतिशत से अधिक नहीं हों।

(3) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आपात के दौरान थल सेना/वायुसेना/नौसेना में पदग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति की भर्ती, नियुक्ति, वरिष्ठता और स्थायीकरण आदि ऐसे आदेशों और अनुदेशों से विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जायें और ये भारत सरकार द्वारा इस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किये जायेंगे।

5. **नये नियमों का अंतःस्थापन.**– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 7 के पश्चात् और विद्यमान नियम 8 के पूर्व निम्नलिखित नये नियम 7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ, 7ज, 7झ, 7ञ और 7ट अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :–

"**7क. पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों और आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.**– पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों और आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार होगा। किसी वर्ष–विशेष में पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों और आर्थिक पिछड़े वर्गों के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

7ख. महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण.– सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार 30 प्रतिशत होगा जिसमें से 8 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 2 प्रतिशत विछिन्न विवाह–महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा। किसी वर्ष–विशेष में पात्र और उपयुक्त विधवाओं और विछिन्न विवाह–महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, विधवाओं और विछिन्न विवाह–महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ अन्य महिला अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी और ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेंगी और आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप में समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :– विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न विवाह–महिला के मामले में उसे विवाह–विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

7ग. राष्ट्रीयता.– सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह –

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो ; या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो ; या

(घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया तिब्बती शरणार्थी हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा तथा संयुक्त तनजानिया गणतंत्र (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मालावी, जैरे और इथियोपिया से आया हो :

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा समुचित सत्यापन के पश्चात् पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

7घ. अन्य देशों से भारत में आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें.– इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु–सीमा और फीस या अन्य रियायतों संबंधी उपबंध ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेश या अनुदेश भारत सरकार द्वारा उस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किये जायेंगे।

7ङ रिक्तियों का अवधारण.– (1) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या अवधारित करेगा।

(2) जहां कोई पद इन नियमों या अनुसूची में यथाविहित किसी एकल रीति से भरा जाना हो वहां इस प्रकार अवधारित रिक्तियां उस रीति से भरी जायेंगी।

(3) जहां कोई पद नियमों या अनुसूची में यथाविहित एक से अधिक रीतियों से भरा जाना हो वहां ऐसी प्रत्येक रीति के लिए उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन अवधारित रिक्तियों का प्रभाजन पहले ही भर लिये गये पदों की संपूर्ण संख्या के विहित अनुपात को बनाये रखते हुए किया जायेगा। यदि ऊपर विहित रीति से रिक्तियों के प्रभाजन के पश्चात् रिक्तियों का कोई भाग छूट जाये तो उसे पदोन्नति, कोटे की अग्रता देते हुए, निरंतर चक्रीय कम में विहित विभिन्न रीतियों के कोटे के प्रति प्रभाजित किया जायेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, पूर्वतर वर्षों की रिक्तियों को भी, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, वर्षवार अवधारित करेगा बशर्ते कि ऐसी रिक्तियां पहले अवधारित न की गयी हों और उस वर्ष में, जिसमें उनका भरा जाना अपेक्षित था, भरी न गयी हों।

7च. आयु.– अनुसूची में प्रगणित पदों पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी, आवेदन की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए :

परन्तु, –

(i) उपरोक्त उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा को –

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गों के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक ;

(ख) सामान्य प्रवर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक ; और

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक,

शिथिल किया जायेगा।

(ii) उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था ;

(iii) ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा जो दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था ;

(iv) सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को, यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होंने सीधी भर्ती के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय ऊपरी आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर तक दिये जायेंगे ;

(v) कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा;

(vi) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे ;

(vii) राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ निगम के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी ;

(viii) विधवाओं और विच्छिन्न–विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :– विधवा के मामले में, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न–विवाह के मामले में उसे विवाह–विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

(ix) यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।

7छ. शैक्षणिक और तकनीकी अर्हताएं तथा अनुभव.– अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद (पदों) पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताएं रखेगा :–

(i) अनुसूची के स्तंभ 4 में अधिकथित अर्हताएं तथा अनुभव;

(ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञानः

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती हेतु इन नियमों या अनुसूची में यथा–उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है या उपस्थित हो रहा है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा किन्तु,–

(i) जहां चयन लिखित परीक्षा के दो प्रक्रमों और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व ;

(ii) जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व ; और

(iii) जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व,

समुचित चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

7ज. चरित्र.– सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पायी थी, के प्राचार्य/शैक्षिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और साथ ही ऐसे दो प्रमाणपत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास

से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने चाहिएं जो उसके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न हों और न उसके संबंधी हों।

टिप्पण : (i) किसी न्यायालय द्वारा की गयी दोषसिद्धि मात्र में सच्चरित्रता प्रमाणपत्र न दिये जाने का आधार अन्तर्वलित नहीं है। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर विचार किया जायेगा और यदि उनमें नैतिक अधमता संबंधी कोई बात अन्तर्ग्रस्त नहीं है या उनका संबंध हिंसात्मक अपराधों या ऐसे आन्दोलनों से नहीं है, जिनका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक तरीकों से उलटना हो तो दोषसिद्धि मात्र को निरर्हता नहीं समझा जाना चाहिए।

(ii) ऐसे भूतपूर्व कैदियों के साथ, जिन्होंने कारावास में अपने अनुशासित जीवन से और पश्चात्वर्ती सदाचरण से अपने आप को पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजन के लिए इस आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए कि वे पहले सिद्धदोष ठहराये जा चुके हैं। उन व्यक्तियों को, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त नहीं है, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायेगा, यदि वे 'पश्चात्वर्ती देखरेख गृह' के अधीक्षक की, या यदि किसी जिला–विशेष में ऐसे गृह नहीं हैं तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की, इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

(iii) उन व्यक्तियों से, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए, जिनमें नैतिक अधमता या हिंसा अन्तर्ग्रस्त है, सिद्धदोष ठहराया गया है, पश्चात्वर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक का, या यदि किसी जिला–विशेष में ऐसा गृह नहीं है तो पुलिस अधीक्षक का, कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित इस आशय का, कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चात्वर्ती देखरेख गृह में अपने पश्चात्वर्ती सदाचरण से यह सिद्ध कर दिया है कि वे अब पूर्णतः सुधर गये हैं अतः नियोजन के लिए उपयुक्त हैं, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

7झ. शारीरिक उपयुक्तता.– सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक और शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो और यदि वह चयनित हो जाये तो उसे सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का चिकित्सीय उपयुक्तता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति की नियमित पंक्ति में पदोन्नत अभ्यर्थी के मामले में या जो पहले से राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत हो, ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा यदि पूर्ववर्ती नियुक्ति के लिए उसकी स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही कर ली गयी हो और उसके द्वारा धारित दोनों पदों के लिए स्वास्थ्य परीक्षा का आवश्यक मापमान नये पद के कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के तुल्य हो और आयु के कारण उस प्रयोजन के लिए उसकी कार्यदक्षता में कोई कमी न आयी हो।

7ञ. अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग.– कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज जिनमें गड़बड़ की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं हैं या मिथ्या हैं या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन, काम में लाने का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो दाण्डिक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त :–

(क) अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से आयोग द्वारा ; और

(ख) सरकार के अधीन नियोजन से सरकार द्वारा,

या तो स्थायी तौर पर या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

7ट. संयाचना.– नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में

समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरर्हित कर सकेगा।"

6. नियम 8 का हटाया जाना.– उक्त नियमों का विद्यमान नियम 8 हटाया जायेगा।

7. नये भाग 3 क का अंतःस्थापन.– उक्त नियमों के विद्यमान भाग 3 के पश्चात् और विद्यमान भाग 4 के पूर्व निम्नलिखित नया भाग 3क अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"भाग 3क

सीधी भर्ती के लिए प्रकिया

8. आवेदन आमंत्रित करना.– सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आयोग द्वारा, भरी जाने वाली रिक्तियों को राजपत्र में या ऐसी रीति से, जो ठीक समझी जाये, विज्ञापित करके, आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में यह खण्ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित पद का ग्रेड वेतन, इन नियमों में उल्लिखित परिपीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा :

परन्तु इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय आयोग, यदि उसे विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन के लिए प्राप्त हो जाये, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।

8क. सीधी भर्ती की आवृति.– अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद पर सीधी भर्ती तब तक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी जब तक कि सरकार यह विनिश्चय नहीं कर ले कि इनमें से किसी पद के लिए किसी वर्ष–विशेष में सीधी भर्ती आयोजित नहीं की जायेगी।

8ख. आवेदन का प्ररूप.– आवेदन आयोग द्वारा विहित प्ररूप में किया जायेगा और वह आयोग के सचिव से ऐसी फीस, यदि कोई हो, का संदाय करके, जो आयोग समय–समय पर नियत करे, प्राप्त किया जा सकेगा।

8ग. आवेदन फीस.– सेवा में के किसी पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी, आयोग द्वारा नियत फीस का, ऐसी रीति से, जो वह उपदर्शित करे, संदाय करेगा।

8घ. आवेदनों की संवीक्षा.– आयोग उसके द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और इतने अभ्यर्थियों की, जितने इन नियमों के अधीन लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के लिए अर्हित हों, अपेक्षा करेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी के पात्र होने या अन्यथा के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा।

8ङ. आयोग की सिफारिशें.– आयोग ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें वह संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे, योग्यताक्रम में एक सूची तैयार करेगा और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा :

परन्तु आयोग विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत की सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम आरक्षित सूची में रख सकेगा। आयोग द्वारा, अध्यपेक्षा किये जाने पर, ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की योग्यताक्रम में सिफारिश, उस तारीख से, जिसको मूल सूची आयोग द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित की जाती है, छह मास के भीतर–भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को की जा सकेगी।

8च. नियुक्ति के लिए निरर्हताएं.– (1) कोई पुरूष/महिला अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी सिवाय उस दशा के जब सरकार यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए वैयक्तिक विधि के अधीन अनुज्ञेय विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(2) कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी सिवाय उस दशा के जब सरकार यह

समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(3) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया था।

स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है :

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा :

परन्तु यह भी कि इस उप–नियम के उपबंध राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अधीन किसी विधवा को दी जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे :

परन्तु यह और भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

8छ. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन.– नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 7,7क और 7ख के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए नियम 8ङ के अधीन आयोग द्वारा तैयार की गयी सूची में के योग्यताक्रम में अभ्यर्थियों का चयन करेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि ऐसा अभ्यर्थी संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य सभी प्रकार से उपयुक्त है।"

8. **नियम 10 का प्रतिस्थापन.**– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"10. **सेवा में नियुक्ति.**– सेवा में के पद पर नियत पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति, अधिष्ठायी रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, नियम 8ङ के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से योग्यताकम में और नियम 9 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों में से पदोन्नति द्वारा की जायेगी।"

9. **नियम 11 का प्रतिस्थापन.**– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"11. **अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति** .– (1) सेवा में की ऐसी रिक्ति को, जिसे नियमों के अधीन सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो, सरकार या, यथास्थिति, नियुक्तियां करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पद पर किसी ऐसे अधिकारी की, जो उस पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का पात्र हो, स्थानापन्न हैसियत में नियुक्ति करके या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो सेवा में सीधी भर्ती के लिए पात्र हो, जब ऐसी सीधी भर्ती इन नियमों के उपबन्धों के अधीन उपबंधित हो, अस्थायी रूप से नियुक्त करके, भरा जा सकेगा :

परन्तु,–

(i) ऐसी कोई नियुक्ति आयोग को उसकी सहमति के लिए, जहां ऐसी सहमति आवश्यक हो, निर्दिष्ट किये बिना एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए चालू नहीं रखी जायेगी और आयोग द्वारा सहमति देने से इनकार करने पर तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी :

(ii) सेवा में के ऐसे किसी पद के संबंध में, जिसके लिए भर्ती की दोनों रीतियां विहित हों, नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, सरकार के कार्मिक विभाग की विनिर्दिष्ट अनुमति के बिना, सीधी भर्ती के कोटे की किसी अस्थायी रिक्ति को पूर्णकालिक नियुक्ति द्वारा, उस स्थिति के सिवाय जबकि ऐसी अस्थायी रिक्ति अल्पकालिक विज्ञापन के पश्चात् तथा सीधी भर्ती के लिए पात्र व्यक्तियों में से भरी जाये, तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए नहीं भरेगा।

(2) पदोन्नति के लिए पात्रता की अपेक्षाएं पूरी करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की दशा में, सरकार उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन पदोन्नति के लिए अपेक्षित पात्रता की शर्तें होने पर भी, वेतन और अन्य भत्तों के बारे में ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जो वह निदिष्ट करे, अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर रिक्तियां भरने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सामान्य अनुदेश अधिकथित कर सकेगी। तथापि, ऐसी नियुक्तियां, उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन यथा–अपेक्षित, आयोग की सहमति के अध्यधीन होंगी।"

10. **नियम 14 का प्रतिस्थापन.**– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"**14. कतिपय मामलों में स्थायीकरण.**– (1) पूर्ववर्ती नियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सेवा में किसी पद पर अस्थायी तौर पर या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त हुए किसी व्यक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की रीतियों में से किसी एक रीति द्वारा हुई नियमित भर्ती के पश्चात् उसके सीधी भर्ती द्वारा परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त होने की दशा में दो वर्ष की सेवा के परिवीक्षाकाल के संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर छह मास की कालावधि के भीतर या पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने की दशा में एक वर्ष की सेवा की कालावधि के भीतर स्थायी नहीं किया गया हो तो वह अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी माने जाने का हकदार होगा, यदि –

(i) उसने एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन उस पद पर या उच्चतर पद पर कार्य किया हो या इस प्रकार कार्य करता यदि वह प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर नहीं होता ;

(ii) वह इन नियमों के अधीन विहित कोटा के अध्यधीन रहते हुए, स्थायीकरण से संबंधित नियम के अधीन विहित शर्तें पूरी करता हो ; और

(iii) विभाग में स्थायी रिक्ति उपलब्ध हो।

(2) उपर्युक्त उप–नियम (1) में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी यदि उक्त उप–नियम में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो उपर्युक्त उप–नियम (1) में उल्लिखित कालावधि को राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 और अन्य किन्हीं नियमों के अधीन परिवीक्षाधीन–व्यक्ति के लिए यथाविहित कालावधि तक या एक वर्ष तक, जो भी अधिक हो, बढ़ाया जा सकेगा। यदि वह कर्मचारी फिर भी उपर्युक्त उप–नियम (1) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो वह ऐसे पद से उसी रीति से सेवोन्मुक्त किये या हटाये जाने का दायी होगा जिस रीति से किसी परिवीक्षाधीन–व्यक्ति को सेवोन्मुक्त किया या हटाया जाता है या वह उस अधिष्ठायी या निम्नतर पद पर, यदि कोई हो, जिसके लिए वह हकदार हो, पदावनत किये जाने का दायी होगा।

(3) उपर्युक्त उप–नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी को उक्त सेवाकाल के पश्चात् स्थायीकरण से विवर्जित नहीं किया जायेगा यदि उसके द्वारा समाधानप्रद रूप से कार्य करने के प्रतिकूल कोई कारण उसे उक्त सेवा अवधि के दौरान संसूचित न किया गया हो।

(4) उपर्युक्त उप–नियम (1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को स्थायी न करने के कारणों को नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवा पुस्तिका और वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अभिलिखित करेगा।

स्पष्टीकरण : (i) इस नियम के प्रयोजन के लिए नियमित भर्ती से अभिप्रेत है –

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार भर्ती की किसी भी रीति द्वारा या सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय की गयी नियुक्ति :

(ख) उन पदों पर नियुक्ति, जिनके लिए कोई सेवा नियम विद्यमान न हो, यदि पद आयोग के अधिकार क्षेत्र के भीतर हों तो आयोग के परामर्श से भर्ती;

(ग) नियमित भर्ती के पश्चात् स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति, जहां सेवा नियम इसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात करते हों ; और

(घ) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें इन नियमों के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया हो, नियमित रूप से भर्ती किये हुए समझे जायेंगे :

परन्तु इसमें ऐसी अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति या स्थानापन्न पदोन्नति सम्मिलित नहीं होगी जो पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के अध्यधीन हो।

(ii) किसी अन्य संवर्ग में धारणाधिकार रखने वाले व्यक्ति इस नियम के अधीन स्थायीकरण किये जाने के पात्र होंगे और वे इस विकल्प का प्रयोग करने के भी पात्र होंगे कि वे अपनी अस्थायी नियुक्ति के दो वर्ष समाप्त होने पर इस नियम के अधीन स्थायीकरण नहीं चाहते। इसके प्रतिकूल कोई भी विकल्प प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि उन्होंने इस नियम के अधीन स्थायीकरण के पक्ष में अपना विकल्प दे दिया है और पूर्व पद पर उनका धारणाधिकार समाप्त हो जायेगा।

11. नियम 17 का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"**17. ग्रेड वेतन.**– सेवा में के किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति का ग्रेड वेतन वह होगा जो नियम 20 में निर्दिष्ट नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो या जो सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किया जाये।"

12. नियम 18 का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"**18. परिवीक्षा के दौरान वेतन.**– सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त किसी परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी को, परिवीक्षाकाल के दौरान ऐसी दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर नियत किया जाये :

परन्तु सरकारी सेवा में भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित रूप से चयनित किसी कर्मचारी को, परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवा के दौरान पद के विद्यमान चालू वेतन बैण्ड में उसके स्वयं के ग्रेड वेतन में उसकी परिलब्धियां या नये पद का नियत पारिश्रमिक, जो भी उसके लिए लाभप्रद हो, अनुज्ञात किया जा सकेगा।

13. नियम 20 का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"20. वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन आदि का विनियमन.– इन नियमों में यथा–उपबंधित के सिवाय, सेवा के किसी सदस्य का वेतन, भत्ते, पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित द्वारा विनियमित होंगी :–

(i) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(ii) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(iii) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(iv) राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971, समय–समय पर यथा–संशोधित;

(v) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(vi) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(vii) राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(viii) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008, समय–समय पर यथा–संशोधित ; और

(ix) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये और तत्समय प्रवृत्त कोई भी अन्य नियम जो सेवा की सामान्य शर्तें विहित करते हों।"

14 अनुसूची का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"अनुसूची

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति प्रतिशत सहित	सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा और कीड़ा के महाविद्यालय निदेशक के लिए समय–समय पर जारी विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट।	–	–	–
2.	पुस्तकालयाध्यक्ष	पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक 80% सीधी भर्ती द्वारा और 20% पदोन्नति द्वारा तथा इसके पश्चात 100% प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए समय–समय पर जारी विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट।	राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1979 के अधीन नियुक्त डिग्री महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर सीधी भर्ती के लिए समय–समय पर जारी विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट।	–

"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

21/2017